न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./16/20/नागौर (2020/00016)

विभागीय अपील द्वारा श्री श्रवण लाल तत्कालीन पटवारी संखवास तहसील नागौर हाल पटवारी बिरलोका तहसील खींवसर जिला नागौर विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर नागौर क्रमांक प.9()/भू.अ./2015/930 दिनांक 28–01–2016 जिसके द्वारा अपचारी पटवारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत तीन वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव (CUMULATIVE EFFECT) से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री श्रवण लाल तत्कालीन पटवारी संखवास हाल पटवारी बिरलोका तहसील खींवसर जिला नागौर

निर्णय

दिनांकः– 20.02.2020

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, नागौर के आदेश दिनांक 28–01–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 21–11–2012 को एक ज्ञापन अन्तर्गत नियम 16 सीसीए के मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या– 1

आप श्री श्रवण लाल तत्कालीन पटवारी प.म. संखवास, तहसील नागौर के पद पर वर्ष 2007 में कार्यरत रहे। उक्त अवधि के दौरान आपने ग्राम संखवास का नामान्तरकरण संख्या 1950 विरासत का दिनांक 18–10–2007 को दर्ज किया जिसकी जांच भू.अ.निरीक्षक संखवास द्वारा दिनांक 24–10–2007 को की गई। इसके पश्चात उक्त नामान्तरकरण दिनांक 24–10–2007 से दिनांक 24–11–2011 तक विचाराधीन रहा एवं दिनांक 24–11–2011 को तहसीलदार नागौर द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण लगभग 04 वर्ष तक विचाराधीन रहा और आपने इसके निर्णित होने के संबंध में कोई प्रयास नहीं किया। उक्त नामान्तरकरण

संख्या 1950 को आपने न तो ग्राम पंचायत संखवास के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया और यदि 45 दिनों तक ग्राम पांयत संखवास ने उक्त नामान्तरकरण को निर्णित नहीं करने पर आप द्वारा न तो तहसीलदार नागौर के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया और न ही इस संबंध में अपने उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत की। नामान्तरकरण 04 वर्ष तक अनिर्णित रहने से संबंधित खातेदारान मदनलाल पुत्र रामनारायण एवं जगदीश पुत्र लालचन्द कौम ब्राहम्ण निासी संखवास के उत्तराधिकारियों को बिना वहह अपने खातेदारी अधिकारों से 04 वर्षों तक वंचित होना पड़ा। इस प्रकार आप द्वारा दर्ज एवं जांच हुए नामान्तरकरण को लम्बे समय तक बिना कोई कार्यवाही करके नामान्तरकरण को अपने पास रख नामान्तरकरण को स्वीकृत नहीं करवाकर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 119 से 121 के प्रावधानों के विपरीत कार्य किया। जिसके लिए आपको आरोपित किया जाता है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इन्होंने निर्धारित अवधि में दिनांक 20–3–2013 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर लगाये गये आरोप से असहमति व्यक्त की। इनको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 19–1–2016 नियत की गई। इस पेशी पर अपीलान्ट ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। जिला कलक्टर, नागौर द्वारा उपखण्ड अधिकारी खींवसर को जांच अधिकारी एवं नायब तहसीलदार नागौर को विभागीय पेरोकार नियुक्त कर जांच रिपोर्ट चाही गई। उपखण्उ अधिकारी खीवसर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए जिला कलक्टर, नागौर द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत तीन वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव (CUMULATIVE EFFECT) से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, नागौर के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उन पर लगाये गये आरोप के संबंध में कथन किया कि आवेदनकर्ता भीकमचंद उर्फ कृष्णचंद दिनांक 15.10.2007 को अपीलार्थी के पास आए एवं नामान्तकरण संख्या 1862 की प्रति दिखाकर बताया कि इसमें एक खाता छूट गया है जिसका नामान्तकरण पूर्व में दर्ज नामान्तकरण संख्या 1862 अनुसार भरना है। आवेदनकर्ता तत्कालीन जमाबंदी खाता संख्या 600 में यह नामान्तकरण मदनलाल के हिस्से 1/2 में अकेले अपना नाम दर्ज करवाना चाहता था। मैनें दिनांक 16.10.2007 को ग्राम संखवास की आमगवाड में मदनलाल पुत्र सत्यनारायण के वारिसो की जांच की एवं उस जांच अनुसार राजस्व नियमावली एवं उत्तराधिकार नियमों को ध्यान में रखते हुए

दिनांक 18.10.2007 को नामान्तकरण संख्या 1950 दर्ज कर दिया एवं दिनांक 24–10–2007 को भू.अ.निरीक्षक संखवास से जांच करवाई गई थी। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1950 निश्चित समय पर ही दर्ज किया गया। दिनांक 5–11–2007 व 20–11–2007 को ग्राम पंचायत की पाक्षिक मीटिंग में भी नामान्तरकरण को फैसल हेतु रखा। ग्राम पंचायत ने इन दोनों मीटिंगों में कोई निर्णय नहीं दिया क्योंकि सरपंच के रिश्तेदार के चाचा लगने वाले का खाता नम्बर 1435 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा भू–प्रबन्ध विभाग की गलती से आवेदनकर्ता के पूर्वजो के नाम चढ गया था जिसका कब्जा आज भी तत्कालीन सरपंच के चाचा के पास है और इसी वजह से यह नामान्तकरण ग्राम पंचायत संखवास द्वारा कार्यवाही में नहीं लिया गया। इसके बाद मैंने समय–समय पर तहसीलदार, नागौर के समक्ष निर्णय हेतु पेश किया जिस पर उनके द्वारा कोई निर्णय नहीं किया। बाद में समय–समय पर पटवार मीटिंगों में भी तहसीलदार नागौर के समक्ष पेश किया गया जिसका दैनिक डायरी में अंकन है। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण चार वर्षो तक अनिर्णीत ही रहा।

उन्होंने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि नामान्तरकरण को फैसल करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत व तहसीलदार /नायब तहसीलदार को होता है जिसके लिए वह ही सक्षम व अधिकृत है। इन दोनों अधिकारियों के समक्ष मेरे द्वारा नियमानुसार नामान्तरकरण प्रस्तुत किया गया परन्तु इनके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1950 के बाद तमाम नामान्तरकरण फैसल है। उपखण्ड अधिकारी खींवसर ने जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि अपीलार्थी ने नामान्तरकरण निर्णित करने का प्रयास नहीं किया इसके लिए दैनिक डायरी 2008–09 एवं 2009–10 की प्रमाणित प्रतिलिपियों से स्पष्ट है कि वर्णित तारीखों में नामान्तरकरण संख्या 1950 को मेरे द्वारा उच्चाधिकारियों के समक्ष पेश किया गया था। उक्त नामान्तरकरण को फैसल करने का क्षैत्राधिकार तहसीलदार को है। यदि उच्चाधिकारियों द्वारा नामान्तरकरण प्रस्तुत करने के पश्चात भी निर्णित नहीं किया गया तो मैं इसके लिए दोषी नहीं हूं। उक्त नामान्तरकरण संख्या 1950 जारी नहीं करने के संबंध में दी गई सजा से पूर्णतया असहमत हूं क्योंकि उच्चाधिकारियों के समक्ष नामान्तरकरण भरकर प्रस्तुत करने के पश्चात भी नामान्तरकरण पर कोई फैसला नहीं किया गया है। जिला कलक्टर महोदय नागौर द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 19–1–2016 को प्रतिउत्तर देने के बावजूद उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर, नागौर से टिप्पणी प्राप्त की गई जिस पर उन्होंने अपने पत्र क्रमांक प.9 () भू.अ./विजा/2015/9606 दिनांक 27–11–2019 से अवगत कराया है कि जांच अधिकारी उपखण्ड

अधिकारी, खींवसर द्वारा प्रकरण में जांच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 1914 दिनांक 11–12–2015 के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जांच अधिकारी ने उक्त प्रकरण में पटवारी पर आरोपित आरोप को साबित होना पाया। जांच अधिकारी उपखड अधिकारी खींवसर ने अपने जांच प्रतिवेदन में बताया कि राजपैरोकार आरोपी कार्मिक के जवाब व गवाह, साक्ष्यों सबूतों से आरोपी कार्मिक श्री श्रवण लाल तत्कालीन पटवारी संखवास पर आरोपित आरोप साबित होते है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी खींवसर ने अपने जांच प्रतिवेदन में कार्मिक पर आरोपित आरोप को सही साबित होना माना है।

जिला कलक्टर नागौर द्वारा अपनी टिप्पणी में यह भी अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को दिनांक 19–1–2016 को व्यक्तिगत सुना गया। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को तत्कालीन तहसीलदार को नामान्तरकरण प्रस्तुत किये जाने बाबत प्रमाण देने हेतु कहा गया परन्तु श्री श्रवण लाल द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही संतोषजनक जवाब प्रस्तुत किया गया। श्री श्रवण लाल पर आरोप था कि उसने ग्राम संखवास का नामान्तरकरण संख्या 1950 विरासत का दिनांक 18–10–2007 को दर्ज किया और इसकी जांच भू.अ.निरीक्षक संखवास द्वारा दिनांक 24–10–2007 को की गई। इसके पश्चात् उक्त नामान्तरकरण दिनांक 24–10–2007 से 24–11–2011 तक विचाराधीन रहा और श्री श्रवण लाल द्वारा उक्त अवधि में नामान्तरकरण निर्णित करवाने का कोई प्रयास नहीं किया। श्री श्रवण लाल का यह कृत्य गंभीर लापरवाही प्रमाणित करता है। अपचारी कार्मिक को व्यक्तिगत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए अपचारी कार्मिक द्वारा आरोपों का संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत विधिसम्मत कार्यवाही की जाकर दण्डादेश दिनांक 28–1–2016 पारित किया गया था। अतः अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व उपखण्ड अधिकारी खींवसर की जांच रिपोर्ट तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, नागौर द्वारा अपीलार्थी पर एक आरोप लगाया गया। उक्त आरोपों की जांच करने हेतु जिला कलक्टर नागौर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, खींवसर को जांच अधिकारी एवं नायब तहसीलदार नागौर को विभागीय पैरोकार नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन दिनांक 8–12–2015 द्वारा जांच प्रतिवेदन जिला कलक्टर

नागौर को प्रेषित किया जिसमें जांच अधिकारी ने अपीलार्थी पर आयत आरोप प्रमाणित माना है और इसके आधार पर ही जिला कलक्टर नागौर द्वारा अपीलार्थी की तीन वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव (CUMULATIVE EFFECT) से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया।

अपीलार्थी पर आयत आरोप के बचाव के संबंध में सर्वप्रथम अपीलार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उसके द्वारा संधारित दैनिक डायरी की प्रमाणित फोटों प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार वह विभिन्न दिनांकों को पटवार मीटिंग व अन्य कार्यो हेतु तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर तहसीलदार के समक्ष नामान्तकरण संख्या 1950 को फैसल करने हेतु प्रस्तुत किया गया किन्तु तहसीलदार द्वारा इस पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। पटवारी का दायित्व होता है कि वह नामान्तरकरण भरकर भू.अ. निरीक्षक के समक्ष जांच हेतु प्रस्तुत करेगा जांच पश्चात तहसीलदार उसे स्वीकृत करेगा। नामान्तरकरण संख्या 1950 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 1950 पटवारी हलका द्वारा दिनांक 18–10–2007 को दर्ज कर भू.अ.निरीक्षक के समक्ष जांच हेतु प्रेषित कर दिया था तथा भू.अ.निरीक्षक द्वारा दिनांक 24–10–2007 को ही जांच कर स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया था।

अपीलार्थी पटवारी का यह कथन कि '' दिनांक 16.10.2007 को ग्राम संखवास की आमगवाड में मदनलाल पुत्र सत्यनारायण के वारिसो की जांच की एवं उस जांच अनुसार राजस्व नियमावली एवं उत्तराधिकार नियमों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 18.10.2007 को नामान्तकरण संख्या 1950 दर्ज कर दिया एवं दिनांक 24–10–2007 को भू.अ.निरीक्षक संखवास से जांच करवाई गई थी। नामान्तरकरण संख्या 1950 निश्चित समय पर ही दर्ज किया गया। दिनांक 5–11–2007 व 20–11–2007 को ग्राम पंचायत की पाक्षिक मीटिंग में भी नागान्तरकरण को फैसल हेतु रखा। ग्राम पंचायत ने इन दोनों मीटिंगों में कोई निर्णय नहीं दिया क्योंकि सरपंच के रिश्तेदार के चाचा लगने वाले का खाता नम्बर 1435 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा भू–प्रबन्ध विभाग की गलती से आवेदनकर्ता के पूर्वजो के नाम चढ गया था जिसका कब्जा आज भी तत्कालीन सरपंच के चाचा के पास है और इसी वजह से यह नामान्तकरण ग्राम पंचायत संखवास द्वारा कार्यवाही में नहीं लिया गया।'' अपीलार्थी पटवारी का उक्त कथन संदेह से परे होने का कोई कारण नहीं दिखता है क्योंकि नामान्तरकरण एक बार प्रस्तुत होने पर उसे स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार 45 दिनों तक ग्राम पंचायत का है और इस अवधि में जब तक नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं हो जाता तब तक वह ग्राम पंचायत में ही लम्बित माना जायेगा। इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी, खींवसर की जांच रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 3 के पैरा संख्या 4 में उपखण्ड अधिकारी ने यह अंकित

किया है कि '' उस समय केवल पारित नामान्तरकरण ही बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किये जाते थे।'' इससे पटवारी के इस कथन की पुष्टि होती है कि स्वीकृत नामान्तरकरण ही बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज होते थे, लम्बित प्रकरणों को दर्ज नहीं किया जाता था जो कि नियमानुकूल नहीं है। जबकि प्रकरणों को लम्बित रखने का कारण अंकित करते हुए बैठक कार्यवाही में सम्मिलित किया जाना चालिए था। उपरोक्त स्थिति से यह सिद्ध नहीं होता है कि पटवारी ने ग्राम पंचायत की बैठक में नामान्तरकरण संख्या 1950 प्रस्तुत ही नहीं किया जैसा कि उपखण्ड अधिकारी, खींवसर ने अपनी जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष में अंकित किया है। प्रस्तुत प्रकरण में जब उक्त नामान्तरकरण का निस्तारण ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिवस की अवधि में नही किया गया तो अपीलार्थी पटवारी द्वारा तत्पश्चात् तहसीलदार, के समक्ष नामान्तकरण फैसल हेतु पेश किया किन्तु तहसीलदार द्वारा उस पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण दिनांक 24–11–2011 को निर्णित किया है। इस सम्बन्ध में साक्ष्य स्वरूप अपीलार्थी पटवारी द्वारा प्रस्तुत दैनिक डायरी (प्रमाणित फोटोप्रति) को संदेह से परे नहीं कहा जा सकता क्योंकि पटवारी द्वारा दैनिक डायरी स्वयं के स्तर पर भरी जाती है तथा उसे प्रमाणित भी कराया जाता है किन्तु इस प्रकरण में प्रस्तुत दैनिक डायरी के अवलोकन से यह कही प्रकट नहीं होता है कि पटवारी द्वारा अपनी दैनिक डायरी उच्चाधिकारी से प्रमाणित करवाई गई हो। तथापि यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण को दिनांक 24.11. 2011 को निर्णित किया गया तो उन्हें पटवारी से 4 वर्ष के विलम्ब बाबत् स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था जो इस प्रकरण में सम्बन्धित तहसीलदारों द्वारा अपीलार्थी पटवारी से 4 वर्ष के विलम्ब बाबत् कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है। पटवारी का यह भी कथन है कि नामान्तरकरण संख्या 1950 के बाद के सभी नामान्तरकरण स्वीकृत हो चुके है। तब स्वीकृति अधिकारी का यह दायित्व बनता है कि इन चार वर्षो में कितने नामान्तरकरण पेंडिग रहे तथा क्यों रहे? इसकी मासिक पटवार बैठकों में एवं नियमित रूप से समीक्षा की जाकर दोषी पटवारियों/गिरदावरों का स्पष्टीकरण लिया जाकर कार्यवाही की जानी थी जो नहीं की गई स्पष्ट होती है। इससे पटवारी के इस कथन पर पूर्ण सन्देह नहीं किया जा सकता कि उसने तहसीलदार के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 1950 स्वीकृति हेतु इन चार वर्षो में कभी प्रस्तुत ही नहीं किया।

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने एक परिपत्र संख्या भू.अ./ई–3/296 दिनांक 15–3–2004 जारी कर पटवारी द्वारा खोले गये नामान्तरकरण के बारे में दिशा निर्देश जारी किये है तथा पटवारी को नामान्तरकरण खोलने के मामलें मं प्रोटेक्शन दिया गया हैं इस परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि पटवारियों के विरूद्ध नामान्तरकरण कार्यवाही में बिना औचित्य के विभागीय जांच प्रारम्भ कर दी

जाती है जिससे पटवारियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है साथ ही सरकारी कार्य के निष्पादन के दौरान भी पटवारियों का उत्पीड़न होता रहता है। राजस्व मण्डल में इस बाबत स्पष्ट निर्देश दिये है कि यदि पटवारी ने अपने स्तर से नियमानुसार सभी तथ्यों की पूर्ण जांच करते हुए नामान्तरकरण सही भरा है तो आगे की अनियमितता के लिए उन्हें दण्डित नहीं किया जा सकता है एव ंना ही उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। परिपत्र में यह भी अंकित किया गया है कि पटवारी राज्य सेवक की हैसियत से कर्तव्यों का निर्वहन करता हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी को वृहत दण्ड से दण्डित किया जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है।

उक्त प्रकरण में अपचारी कार्मिक पर आयत आरोप के संबंध में अपीलार्थी द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में दिये गये तर्को एवं जवाब से सहमति व्यक्त करते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अपचारी कार्मिक पर लगाया गया आरोप स्पष्ट सिद्ध नहीं है जिससे अपीलार्थी को इतने वृहत दण्ड से दण्डित किया जावे। अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को अकेले दोषी नहीं माना जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर श्रवण लाल तत्कालीन पटवारी संखवास हाल पटवारी बिरलोका तहसील खींवसर जिला नागौर विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर नागौर दिनांक 28–01–2016 जिसके द्वारा अपचारी पटवारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत तीन वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव (CUMULATIVE EFFECT) से रोकने के दण्ड से दण्डित किये जाने बाबत् पारित दण्डादेश दिनांक 28–01–2016 अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी श्री श्रवण लाल तत्कालीन पटवारी संखवास हाल पटवारी बिरलोका तहसील खींवसर जिला नागौर की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, नागौर द्वारा तीन वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव (CUMULATIVE EFFECT) से रोकने के दण्ड बाबत पारित दण्डादेश क्रमांक प.9()/भू.अ./2015/930 दिनांक 28–01–2016 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2020.05.28 17:27:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: